राजस्थान सरकार

आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

बैठक का कार्यवाही विवरण

दिनांक 15.10.07 को माननीया मुख्यमन्त्री, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में आयोजित "राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण" की प्रथम बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :–

1 गृह मन्त्री
2 कृषि मन्त्री
3 ग्रामीण विकास मन्त्री
4 सिंचाई एवं जल संसाधन मन्त्री
5 नगरीय विकास मन्त्री
6 मुख्य सचिव
7 प्रमुख शासन सचिव एवं सदस्य सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता

बैठक में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की ओर से प्रमुख शासन सचिव ने विभागीय क्रिया कलापों बाबत संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया। विचार विमर्श के पश्चात् निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

1 सी0 आर0 एफ0 में कुछ आपदाओं जैसे Tornado, Hurricane, Hot & Cold wave, Mine fire, Industrial and Nuclear Disaster, Oil Spills and Building Collapse आदि को राहत के लिए शामिल नहीं किया गया है उन्हें भी सी आर एफ में शामिल करने हेतु भारत सरकार को लिखा जावे।

2 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठक में विशेष आमन्त्रित सदस्यों के रूप में अतिरिक्त मुख्य सचिव, विकास, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशिक्षण, एच सी एम रीपा, जयपुर, प्रमुख शासन सचिव, वित्त, प्रमुख शासन सचिव, गृह को भी बुलाया जावे।

3 इस प्राधिकरण की बैठक के दिशा निर्देशों की क्रियान्विति हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य आपदा प्रबन्धन कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की जाकर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठकों की समीक्षा की जावे। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की जिले में कम से कम तीन माह में एक बार बैठक अवश्य होनी चाहिए।

4 बैठक में यह भी दिशा निर्देश दिये गये कि जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के स्थायी आमन्त्रित सदस्यों के रूप में पूर्व में गठित जिला अकाल राहत परामर्शदात्री समिति के जन प्रतिनिधि सदस्यों को भी बुलाया जावे ताकि उनके साथ विचार विमर्श किया जा सके।

5 बैठक में प्राधिकरण के माननीय सदस्यों को अध्यक्ष महोदया ने निर्देशित किया कि वे जिलों के भ्रमण के समय ई0 ओ0 सी0 (Emergency Opration Center) का भी आकस्मिक निरीक्षण कर रिपोर्ट करें ताकि इनकी प्रभावी मोनिटरिंग की जा सके।

6 I .D. R. N. Web Portal सभी जिलों द्वारा प्रविष्ट की गई सूचनाओं में समरूपता, शुद्धता एवं आदिनांक करने की कार्यवाही सुनिश्चत की जावे।

7 बैठक में उपस्थित जल संसाधन मन्त्री जी को अध्यक्ष महोदया ने निर्देशित किया कि जसवन्तसागर बांध की मरम्मत तुरन्त सुनिश्चित की जावे ताकि आगामी वर्षा से पूर्व सम्भावित आपदा से बचा जा सके।

8 माननीया अध्यक्ष महोदया ने निर्देशित किया कि नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा दलों का प्राकृतिक आपदा में सक्रिय सहयोग लिया जावे।

9 सदस्य सचिव ने बैठक में अवगत कराया कि Climate Change विषय पर राज्य सरकार द्वारा हाल ही में गठित कार्य समूह के अध्ययन हेतु आवश्यक राशि उपलब्ध कराने के लिए वित्त विभाग में प्रकरण लम्बित है।

10 राज्य में ओलावृष्टि के कारण राज्य सरकार द्वारा घोषित सी0 आर0 एफ0 नार्म्स के अतिरिक्त पैकेज में हुई भुगतान राशि 53.01 करोड रूपये राज्य मद में व्यय करने का अनुमोदन किया गया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2007 में आई बाढ एवं बादल फटने से आधारभूत परिसम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर तत्काल मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा विभिन्न विभागों/एजेन्सियों/जिला कलैक्टर्स को जारी की गई राशि 131.00 करोड रूपये का अनुमोदन किया गया।

11 माननीय अध्यक्ष महोदया ने चर्चा के उपरान्त यह निर्णय लिया कि कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को भारत सरकार के समसक्ष उठाये जाने हेतु आज की प्राधिकरण की बैठक का सन्दर्भ देते हुए पत्र प्रस्तुत किया जावे जिसमें निम्न बिन्दुओं को शामिल किया जावे :–

A वर्तमान में राहत कार्यो हेतु सामग्री मद में कोई राशि दिये जाने का प्रावधान नहीं है। सामग्री मद में कम से कम 40 प्रतिशत तक राशि का प्रावधान किया जावे ताकि जनोपयोगी स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया जा सके। इस प्रकार का प्रावधान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (एन0 आर0 ई0 जी0 पी0) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा किया हुआ है।

B आपदा राहत कोष से मजदूरी का भुगतान गेहूँ में करने पर गेहूँ की कीमत "आर्थिक दर" पर आंकलन करने का नये आपदा राहत कोष नार्म्स में प्रावधान किया गया है जो कि पूर्व में किये गये प्रावधान से विपरीत है। पूर्व में गेहूँ की कीमत का आंकलन बी0 पी0 एल0 दर (4.70 रूपये प्रति किलो) पर किया जाता रहा है। इस हिसाब से राहत कार्यो में लगने वाले श्रमिकों को गेहूँ की कीमत पूर्व की दर से लगभग ढाई गुना अधिक देय होगी, जो कि पूर्णतया अनुचित एवं अव्यवहारिक है। नये आपदा राहत कोष नार्म्स के अनुसार राहत कार्यो पर लगे श्रमिकों को मजदूरी के अंश के रूप में गेहूँ बहुत

कम मात्रा में मिलेगा। अकाल की स्थिति में जबकि खाद्यान्न की उपलब्धता अपेक्षाकृत बहुत कम हो जाती है तथा गरीब जनता को खाद्यान्न की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रावधान अनुचित एवं अव्यवहारिक है।

C वर्तमान में सी0 आर0 एफ0 नार्म्स के अन्तर्गत आपदा में मृतक पशुओं के प्रतिस्थापन हेतु किया गया प्रावधान सीमित करते हुए 1 बडे दुधारू / Draught पशु या 4 छोटे दुधारू / 2 छोटे Draught पशु प्रति परिवार कर दिया गया है चाहे हानि कितने ही पशुओं की क्यो न हो। जबकि राजस्थान में कृषि के बाद पशु पालन ही रोजगार का मुख्य साधन है। अतः पशुओं की संख्या सीमित करना उचित नहीं है।

D नये आपदा राहत कोष के नार्म्स के अनुसार क्षतिग्रस्त आधारभूत परि सम्पत्तियों के तत्काल पुर्नस्थापन एवं मरम्मत हेतु आपदा की तिथी से 30 दिवस का समय सामान्य स्थिति में तथा गम्भीर स्थिति में 45 दिवस की समय सीमा निश्चित की गई है जो कि पूर्णतया अव्यवहारिक है। इस समय सीमा के अन्दर क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों का आंकलन, तकनीकी तखमीना बनाना और निर्माण कार्य पूर्ण करना असम्भव होता है। अतः यह समय सीमा क्रमशः 180 दिवस एवं 365 दिवस होनी चाहिए।

E "आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005" की धारा 48 में यह प्रावधान दिया हुआ है कि राज्य एवं जिला स्तर पर Disaster Responce/ Disaster Mitigation Fund सृजित किया जावे लेकिन अधिनियम में इस बात का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि इन फण्ड्स का सृजन कैसे किया जावे तथा इनका वित्तीय स्त्रोत क्या होगा। इन फण्ड्स के निर्माण के बाद वर्तमान में बने हुए आपदा राहत कोष एवं राष्ट्रीय आकस्मिक आपदा निधि कोषों की स्थिति क्या रहेगी।

F वर्ष 2006 में राज्य में आयी बाढ में भारत सरकार से दो प्रकार के दावों के रूप में कुल 3284.22 करोड रूपये मांगे गये । इनमें 2409.70 करोड रूपये राहत कार्यो के लिए तथा 874.52 करोड क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों को आपदापूर्व स्थिति में लाने हेतु मांगे गये थे। हमें 2409.70 करोड के दावों के विपरीत कुछ भी नहीं मिला तथा 874.52 करोड का दावा N.D.M.A. को प्रेषित किया गया लेकिन योजना आयोग ने उसे यथास्थिति रखने के निर्देश दिये है। यह राशि भारत सरकार द्वारा जारी की जावे ताकि परिसम्पत्तियों को आपदापूर्व की स्थिति में लाया जा सके।

अन्त मे बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

प्रमुख शासन सचिव
एवं सदस्य सचिव